सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
वैशाख 20, बुधवार, *शाके* 1945-मई 10, 2023 *Vaisakha 20, Wednesday , Saka 1945- May 10, 2023*	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज विभाग)

आदेश

जयपुर, मई 05, 2023

संख्या एफ. 15 (43) पंरावि/ विधि/ नगरपालिका गठन/2021/171 : स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 3031 दिनांक 10.11.2021 के द्वारा नगरपालिका गोविन्दगढ का गठन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अलवर जिले की पंचायत समिति, गोविन्दगढ का वार्ड संख्या 13 पूर्णतः नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित हो गया ।

पंचायती राज विभाग की अधिसूचना क्रमांक 27 दिनांक 12.01.2022 के द्वारा नगरपालिका गोविन्दगढ में सम्मिलित क्षेत्र (पंचायत समिति गोविन्दगढ का वार्ड संख्या 13) को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक कर दिया गया है ।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–101(2)(घ) के प्रावधानानुसार अधिसूचना क्रमांक 27 दिनांक 12.01.2022 के द्वारा अपवर्जित क्षेत्र वार्ड संख्या 13 से निर्वाचित सदस्य, पंचायत समिति गोविन्दगढ (जिला अलवर) हटाये हुए माने जायेंगे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,
निशु कुमार अग्निहोत्री,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम)।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज विभाग)

आदेश

जयपुर, मई 05, 2023

संख्या एफ. 15 (43) पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2021/172 : स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 1725 दिनांक 22.06.2022 के द्वारा नगरपालिका बडौदा मेव का गठन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अलवर जिले की पंचायत समिति, गोविन्दगढ का वार्ड संख्या 17 पूर्णतः नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित हो गया ।

पंचायती राज विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1432 दिनांक 03.11.2022 के द्वारा नगरपालिका बडौदा मेव में सम्मिलित क्षेत्र (पंचायत समिति गोविन्दगढ का वार्ड संख्या 17) को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक कर दिया गया है ।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–101(2)(घ) के प्रावधानानुसार अधिसूचना क्रमांक 1432 दिनांक 03.11.2022 के द्वारा अपवर्जित क्षेत्र वार्ड संख्या 17 से निर्वाचित सदस्य, पंचायत समिति गोविन्दगढ (जिला अलवर) हटाये हुए माने जायेंगे ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,
निशु कुमार अग्निहोत्री,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम)।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।